



2026:AHC-LKO:6093-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 742 सन 2026

मधुकर शुक्ला

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन
विभाग, लखनऊ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	हिमांशु नाग
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शोभित मोहन शुक्ला

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी**

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु नाग को, राज्य--प्रतिवादी संख्या 1 और 4 के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राज बक्स सिंह को और लखनऊ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण--प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित मोहन शुक्ला को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 11.06.2022 को जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र जो कि अनुलग्नक संख्या 1 में निहित है, के निष्पादन की मांग की है, ताकि उसी प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.10.2020 को पारित आदेश का अनुपालन किया जा सके।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान प्रस्तर 8 की ओर दिलाया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 29.10.2020 के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है और न ही प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दिनांक 11.06.2022 के वसूली प्रमाण पत्र को कोई चुनौती दी गई है। हालांकि, राजस्व अधिकारियों की ओर से पेश हुए अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राज बक्स सिंह,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जिन्हें उपर्युक्त वसूली प्रमाण पत्र को लागू करना है, ने लिखित निर्देश दिए हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 के खिलाफ कई वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से कुछ को पूरा कर लिया गया है और प्रतिवादी संख्या 5 की कुछ संपत्तियों की नीलामी करके सफलतापूर्वक राशि वसूल कर ली गई है, लेकिन शेष संपत्तियां, नीलामी में रखे जाने के बावजूद, नहीं बिकी हैं क्योंकि नीलामी में भाग लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है।

4. चाहे जो भी हो, राजस्व अधिकारियों को कानून के अनुसार जो भी करना हो, वे करें और फिर कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, लखनऊ को सूचित करें, लेकिन यह प्रक्रिया श्री राज बक्स सिंह के सुझावानुसार एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। इसके बाद, यदि याचिकाकर्ता को अभी भी कोई आपत्ति है, तो वह कानून के अनुसार उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकता है।

5. याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 28, 2026

अर्णिमा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।